न्यायालय अपर सिविल जज सी0डि0, नगीना जिला बिजनौर।
मूल प्रकीर्ण वाद संख्या–16 / 2022
इदरीश बनाम शेर खां आदि।

UPBJ160083182022

12.11.22

पत्रावली राष्ट्रीय लोक पेश हुई। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र क–3 पर

निस्तारण प्रार्थना–पत्र क–3

प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र क–3 प्रार्थी इदरीश की ओर से अपने मृतक पिता अ0 रसीद के पंजाब नेशनल बैंक शाखा अल्हेपुर के खाता संख्या **0135010400072760** में जमा अंकन **5,44,742 / –रूपये 66 पैसे मय ब्याज** के बावत उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र अपने पक्ष में निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी ने अपने तथ्यों के समर्थन में सूची ग–8 से असल मृत्यु प्रमाणपत्र अ0 रसीद, असल पास बुक, असल वारिसान प्रमाणपत्र, असल मृत्यु प्रमाणपत्र छुनिया खातून दाखिल किये है।

प्रतिपक्षीगण की ओर से अनापत्ति दाखिल की गयी।

प्रस्तुत प्रकरण में नोटिस मुनादी कराई गई है, जो प्रपत्र सं0 ग–16 / 1 के रूप में पत्रावली पर दाखिल है तथा अखबार में प्रकाशन भी कराया गया है, जो कागज संख्या क–24 है।

मैंने पक्षकार के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक्रूपेण परिशीलन किया।

मृतक अ0 रसीद के मृत्यु प्रमाण–पत्र कागज संख्या क–10 के अवलोकन से दर्शित है कि अ0 रसीद की मृत्यु दिनांक 06–04–22 को हो चुकी है तथा प्रार्थी द्वारा अ0 रसीद के पंजाब नेशनल बैंक शाखा अल्हेपुर के खाता संख्या 0135010400072760 में जमा अंकन 5,44,742 / –रूपये 66 पैसे जमा होने के बावत बैंक की पास बुक दाखिल की है।

वारिसान प्रमाणपत्र कागज संख्या क–11 के अवलोकन से विदित है कि मृतक अ0 रसीद के परिवार में उसके अलावा उसके पुत्रगण व पुत्री है। जो प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षीगण है अन्य कोई पारिवारिक सदस्य नहीं है।

स्वीकृत रूप से प्रार्थी इदरीश मृतक अ0 रसीद का पुत्र है तथा विपक्षीगण उसके पुत्रगण व पुत्री जिनकी ओर से अनापत्ति दाखिल कर कथन किया गया है कि उनको प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

इसके अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत धनराशि के तदर्थ कोई दावा नहीं किया गया है। विपक्षीगण ने जमा धनराशि उपरोक्त के तदर्थ प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत करने में कोई आपत्ति नहीं की है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा व समीकरण से तथा विश्लेषण व विवेचन से जो स्पष्टीकरण होता है, उसके सापेक्ष तथा विपक्षीगण की अनापत्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत धनराशि के तदर्थ प्रार्थी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी **इदरीश** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र क–3 स्वीकार किया जाता है। मृतक अ0 रसीद के पंजाब नेशनल बैंक शाखा अल्हेपुर के खाता संख्या **0135010400072760** में जमा अंकन **5,44,742/–रूपये 66 पैसे मय ब्याज** के बाबत प्रार्थी के हक में उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र बाद अदायगी न्यायशुल्क निर्गत हो।

(आमोद कंठ)
अपर सिविल जज(सी0डि0)
नगीना, बिजनौर।
आई0डी0नं0 यू.पी.02245